



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी संख्या - 3133 वर्ष 2026

राम्याग्य
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	प्रिंस कुमार
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी, पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही, केस संख्या 2198/2022, प्रतिवादी संख्या 3/उप-विभागीय अधिकारी, तहसील रुधौली, जिला बस्ती द्वारा दिनांक 13.03.2024 के आदेश द्वारा कार्यवाही न करने के कारण खारिज कर दी गई थी। इस आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) बस्ती, मंडल बस्ती के समक्ष प्रथम अपील दायर की, जिसे उन्होंने दिनांक 08.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।
- आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के तहत द्वितीय अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। उन्होंने यूपी राजस्व संहिता, 2006 की अनुसूची तृतीय का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार प्रथम अपील में आयुक्त के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर की जा सकती है।
- इस स्थिति को देखते हुए, वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।
- कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि विवादित आदेशों की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता को लौटा दी जाए, और उसकी फोटोकॉपी अभिलेख में सुरक्षित रखी जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"